निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–148 / 2016
दायरा दिनांक :–07.10.2016
निर्णय दिनांक :– 20.2.23

उनवान

श्रीमती अनारबाई पत्नी श्री सत्यनारायण जी जाति धाकड़ निवासी नलका तहसील बारां
–वादीया

बनाम

1. रणजीत पुत्र बदाम्या जाति मोग्या निवासी नलका छापर तहसील बारां जिला बारां राज0
2. अनिता पत्नी रणजीत जाति मोग्या निवासी नलका तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 20.2.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री मदनलाल गालव एड0– वादी
2. श्री नरेन्द्र एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम वादिया की आराजी खसरा नं0 14 रकबा 1.40 हे0 वाके ग्राम नलका तहसील बारां जिला बारां में स्थित है। जो वादिया के खातेदारी एवं कब्जा काश्त में स्थित है। नकल जमाबन्दी सं0 2071–2074 एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रतिवादी व उसके परिवार ने वादिया के खेत के पास चारागाह आराजी पर अतिचार कर वादी की आराजी की मेड को तोड कर नष्ट कर दिया है, एवं वादिया की करीबन 3–4 बिस्वा जमीन की फसल को बार बार नष्ट कर देते एवं वादिया को काश्त करने में व्यवधान पैदा करता, तथा मना करने पर झूठी रिपोर्ट कराकर जैल में बन्द कराने की धमकी देते है। महिला से झूठी रिपोर्ट कराकर बदनाम करने की भी धमकी देते है।प्रतिवादी की वहां पर कोई जमीन नहीं है। [illegible] वादिया की जमीन पर जबरन अतिक्रमण करने का व वादिया की भूमि पर काश्त करने में बाधा [illegible] का कोई अधिकार नहीं है।चारागाह भूमि पर वादिया के जानवर आदि [illegible] चारागाह आराजी पर आने व जानवर छोड़ने पर तथा चारागाह [illegible] अपने खेत पर आने जाने में भी मना करते है। जो अवैधानिक व गलत है। प्रतिवादी [illegible] किसी प्रकार की रूका[illegible] करने का चारागाह आराजी पर आने जाने का कोई अधिकार नहीं है। खसरा नं0 14 की [illegible] जो खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नं0 5 की तरफ की मेड जो सीधी है। को फाड कर नष्ट कर दिया एवं वादिया की जमीन में जबरन घुस कर वादिया के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करता है। तथा झूठी शिकायत कर जैल में बंद कराने की धमकी देते है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गयी है।वदिया प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी व नालिशी है।प्रतिवादी द्वारा बार-बार वादी की आराजी की मेड बाढ को तोडकर वादी के खेत में जबरन प्रवेश कर वादिया की फसल को नष्ट करने के कारण व झूठी शिकायत कर जैल में बन्द कराने की धमकी देने पर बमुकाम नलका तहसील बारां में वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। वादी की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम नलका सम्वत् 2071-74 खाता सं0 3 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू0 1 अनारबाई, पी0डब्ल्यू 2 सत्यनारायण के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बारां में स्थित है। जो वादिया के खातेदारी एवं कब्जा में चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की भूमि के पास चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। तथा वादिया की भूमि पर भी जबरन कब्जा कर फसल नष्ट कर दी तथा वादिया के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। प्रतिवादीगण की वहां पर कोई भूमि नहीं है। वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा कर बाधा उत्पन्न करते है। वादिया का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है। कि प्रतिवादी द्वारा वादिया की भूमि पर कभी कब्जा नहीं किया। प्रतिवादीगण के मकान चरागाह भूमि में बने हुए है। तथा कुछ भूमि पर प्रतिवादीगण काश्त चले आ रहे है। वादिया, प्रतिवादीगण की चरागाह भूमि से बेदखल करवाना चाहती है। जिससे वादिया चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त कर सके। क्योंकि चरागाह भूमि वादिया की भूमि से लगी हुई है। वादिया चरागाह भूमि पर कब्जा करने की नियत से यह दावा पेश किया है। वादिया का वाद खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नलका सम्वत्2071-74 खाता सं0 3 के अनुसार विवादित आराजी अनारबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड के खातेदारी मे दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न जवाब पेश किया और न ही साक्ष्य प्रतिवादी कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

नहीं किया जिससे प्रतिवादी की भूमि वादिया की भूमि के पास है। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि के पास भूमि होने का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया इससे यह साबित होता है। कि वादिया की भूमि के पास प्रतिवादीगण की भूमि नहीं है। प्रतिवादी वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बारां के खसरा नं0 14 रकबा 1.40 हे0 पर वादिया के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करें। तथा वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा न करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें। और नहीं अपने प्रतिनिधियों से करावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.02.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 148 / 2016	अन्तर्गत 188 **आर टी एक्ट**	निर्णय दिनांकः–
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री मदनलाल गालव		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा

वाद शीर्षक

उनवान

श्रीमती अनारबाई पत्नी श्री सत्यनारायण जी जाति धाकड़ निवासी नलका तहसील बारां

–**वादीया**

बनाम

1. रणजीत पुत्र बदाम्या जाति मोग्या निवासी नलका छापर तहसील बारां जिला बारां राज0
2. अनिता पत्नी रणजीत जाति मोग्या निवासी नलका तहसील बारां जिला बारां राज0

–**प्रतिवादीगण**

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बारां के खसरा नं0 14 रकबा 1.40 हे0 पर वादिया के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करें। तथा वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा न करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें। और नहीं अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ....को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकप्रत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner